



कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा हुड्डा, थाना नं० 325, खाता सं० 25, खेसरा सं० 532, रकबा 2.42 से संबंधित जमाबंदी रैयत हुड्डा पिता हुड्डा के नाम से ग्राम हुड्डा में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


RSP


9


अंचल परीक्षक
उत्तरपुर

**संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक-लिस्ट**

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू रेंज हतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
<u>श्री सुईया</u>	<u>हुडुकागा</u>	<u>325</u>	<u>25</u>	<u>532</u>	<u>2.42</u>	<u>गैरमजबूत</u>	<u>जंगल</u>
<u>श्री सुईया</u>						<u>भूमि</u>	<u>बाड़ी</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल-साई

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II स्पष्ट नहीं है.

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- पंजी II स्पष्ट नहीं है.

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :- स्पष्ट नहीं है
(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :- स्पष्ट नहीं है

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :- NA
हतरपुर

अवैध जामबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-
(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुगंडल में संचारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) वाचिस्त्र-स्वादिज/भू-हस्तातरण/नामातरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :-

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनवारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक—01.01.1948 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद :-
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगाता निर्गत है? :-

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरांसा सहित :- डा. उमिनेश 299 / 2016-17 (कार्गिल घमा 4(h)) B.R. No. 1950 ने नए संबंधित धर्म का जोड़ दिया कि उनका कार्यालय के जोड़िए से कराई गई उनके द्वारा परिवर्तित किया गया कि जोड़िए में इन धर्म के संबंध में इस डा. ने आदि जन्म करा प्रता गया कि इस वर्ष का कोई व्यक्ति 299 घटा पर किया गया कि ओ. न. बी. इसका ऊपर धर्म पर जोड़-गोड़ रहा है। नए लगे करियाल के अनुसार धर्म और मजहबों होते थे। मजहबों का मजहब का अर्थलाइव केवल पर इन है। ओ. न. बी. आर्थलाइव मजहब धर्म का एक जमीन-धर्म अर्थलाइव के कारण स्पष्ट नहीं है। नए इस डा. पर 4(h) की करवाई लगे करणा उचित नहीं है। नए नए होता है। अर्थलाइव जांच प्रतिवेदन डा. समर्पित, (समर्पित)

14. अंथल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व अपीररीकृत द्वारा प्रसिद्धित जॉय प्रसिद्धित
का जॉय प्रिमा, सही पाया। अति: उपरोक्त जमावकी पर. या
4(h) BLR Act 1950 के तहत कारवाई करना उचित
प्रतीत नहीं होता है।

अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर। छत्तरपुर।

अनुमण्डल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शुद्ध मुर्जा पिता रूपन मुर्जा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं. पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>हुट्टक 6171</u>		25	532	2.42

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- सं. पेजी II स्पष्ट नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गैरमजबूत मानिक
5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

पंजी II स्पष्ट नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	<u>पंजी II स्पष्ट नहीं है।</u>		

प्रति

10

बंदोबस्ती अधिकारी

उत्तरपुर

कम्युनिकेशन, अचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 299 / 20¹⁶¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम रुद्रा मुंडियां

पिता-रूपरुद्रा मुंडियां

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा हुड्डावा थाना नं०.....
खाता सं० 25 खेसरा नं० 532 रकबा 242 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० ५ के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/22 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

